न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 28/19 निर्णय दिनांकः 13–01–2020
(आरसीएमएस सख्या 2019/00296)

1. प्रतापसिंह पुत्र स्व. चन्दूराम जाति जाट निवासी ढिगारला तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. तारावती
3. गिरदावारी
4. धापा उर्फ धापी
5. कमलेश

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. चन्दूराम जाति जाट निवासी ढिगराला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

–प्रार्थीगण

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य जरिये पैरोकारराज

–अप्रार्थी

नजरसानी प्रार्थना पत्र विरुद्व निर्णय
राजस्व अपील प्राधिकारी,बीकानेर
दिनांक 29–11–2019

उपस्थितः–

1. श्री रफीक शाह, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 29–11–2019 जिसके द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, की धारा 86(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा वर्ष 1985 में पुख्ता आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर आवंटन सलाहकार समीति द्वारा प्रार्थीगण के पिता/पति को 26 बीघा कमाण्ड भूमि पाने के लिए सक्षम घोषित किया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट्स के पिता को तहसील खाजुवाला के चक 01

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 30/17 के किला नम्बर 15 ता 25 में 11 बीघा व मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 01, 08 11 ता 15, 17 ता 24 कुल 15 बीघा इस प्रकार कुल 26 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 01, 08 11 ता 15, 17 ता 24 कुल 15 बीघा भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित थी। ऐसीस्थिति में उक्त भूमि पूर्व में ही आक्यूपाईड़ लैण्ड थी। जो सहवन से अपीलांट्स के पिता को आवंटित कर दी गई। अपीलांट्स के पिता को उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार पूर्व में आवंटित भूमि जो अपीलांट्स के पिता को आवंटित की गई वो आवंटन एनिशियो वॉयड़ होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट्स/प्रार्थीगण द्वारा उक्त तमाम तथ्य यथा अन्य को आवंटित होने बाबत् सबूत के तौर पर इंतकाल संख्या 54 दिनांक 04–09–2007 की प्रति न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु सहवन से उक्त तथ्य पर न्यायालय हाजा द्वारा कतई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट की अपील खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जब प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित थी तो ऐसी अवस्था में अपीलांट्स को अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे। अपीलांट्स एक गरीब काश्तकार मजूदर पेशा व्यक्ति है व भूमि आवंटन करवाने की पात्रता रखता है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट्स को पात्रता के अनुसार 15 बीघा भूमि अन्यत्र आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन कि अपीलांट्स की अपील गुणावगुण पर खारिज की जा चुकी है। रिव्यू का स्कोप लिमिटेड है, जिस पर गुणावगुण पर बहस नहीं की जा सकती है। अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित होने के कारण उक्त भूमि प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि प्रार्थीगण के पिता/पति को तहसील खाजुवाला के चक 01 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 30/17 के किला नम्बर 15 ता 25 में 11 बीघा व मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 01, 08 11 ता 15, 17 ता 24 कुल 15 बीघा इस प्रकार कुल 26 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया। प्रार्थीगण के पिता/पिता आवंटित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि में से मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 01, 08 11 ता 15, 17 ता 24 कुल 15 बीघा भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित थी। ऐसी अवस्था में पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि की एवज में प्रार्थीगण को पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटन की जावे।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा तत्समय वादग्रस्त भूमि चक 1 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 01, 08, 11 ता 15, 17 ता 24 कुल 15 बीघा भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य यथा नामान्तरणकरण संख्या 54 दिनांक 04–09–2007 की प्रति प्रस्तुत की गई थी। परन्तु सहवन से उक्त तथ्य पर न्यायालय द्वारा गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स/प्रार्थीगण की अपील को खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी के माध्यम से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि चक 01 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 1, 8, 11 ता 15, 17 ता 24 की कुल 15 बीघा भूमि हाजीखॉ पुत्र पुनुखॉ जाति मुसलमान साकिन दन्तौर को पुख्ता आवंटित होकर उनके नाम खातेदारी दर्ज भूमि है। ऐसी अवस्था में उक्त भूमि प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हो सकती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा प्रार्थीगण के पति/पिता को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जोकि पूर्व से ही अन्य को आवंटित व खातेदारी प्राप्त भूमि थी। प्रकरण में प्रार्थीगण की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। लिहाजा प्रार्थीगण पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–11–2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर नियमानुसार अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13–01–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.01 21:39:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: